भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली –110001

सं. 51/8/वीवीपीएटी/2017-ईएमएस **दिनांक: 19 सितम्बर, 2017**

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय: राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के लिए भविष्य में होने वाले सभी साधारण एवं उप-निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम सहित वोटर वेरिफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का सर्वव्यापी उपयोग – तत्संबंधी।

महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 की सिविल अपील सं. 9093 में दिनांक 08.10.2013 के अपने आदेश में भारत निर्वाचन आयोग को साधारण निर्वाचनों के क्रमिक चरणों में वीवीपीएटी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की थी और इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि क्षेत्र, राज्य या वास्तविक बूथ (थों) का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा तथा ईसीआई चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने के लिए स्वतन्त्र है। अगस्त, 2013 से, वीवीपीएटी की उपलब्धता के अनुसार, चयनित निर्वाचन क्षेत्रों में, वीवीपीएटी का उपयोग निरन्तर रूप से ईवीएम (मों) के साथ किया जा रहा है। दिनांक 12 मई, 2017 को आयोजित राजनैतिक दलों की बैठक में आयोग ने भविष्य में होने वाले लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचनों में वीवीपीएटी की 100% कवरेज की घोषणा की थी।

अब, आयोग ने यह निदेश दिया है कि अब से, ईवीएम के उपयोग से संचालित संसद एवं राज्य विधान सभाओं के भावी सभी निर्वाचनों में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम सहित वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा।

अत: आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि राज्य विधान सभाओं और लोक सभा के लिए साधारण एवं उप-निर्वाचनों के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर वीवीपीएटी का प्रयोग ईवीएम के साथ किया जाना चाहिए।

आयोग के उपर्युक्त निदेश को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

(मधुसुधन गुप्ता)
अवर सचिव